

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर


क्रमांक : एफ.4 (300) (8) स्टा./वैण्डर/ 158

दिनांक : 19/4/2010

-::परिपत्र::-

विषय:- स्टाम्प वैण्डरों द्वारा स्टाम्प विक्रय करने के सम्बन्ध में।


विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ4(300) (8) स्टाम्प/वैण्डर/10/638
दिनांक 12.04.2010 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि
अधिवक्ता जो अपने मुवकिल का अधिकृत प्रतिनिधि है तथा यदि अधिवक्ता
द्वारा अपने मुवकिल/पक्षकार के लिये स्टाम्पस क्रय किया जाता है तो
अधिवक्ता को स्टाम्प बेचने की कार्यवाही स्टाम्प वैण्डर द्वारा की जावें। स्टाम्प
वैण्डर द्वारा इस आशय का नोट अपने स्टाम्प विक्रय रजिस्टर तथा स्टाम्पस
के पृष्ठांकन के पीछे भी करे कि किस मुवकिल/पक्षकार के लिये किस
अधिवक्ता को स्टाम्प जारी किया गया है।


19/4/10
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान अजमेर।

क्रमांक : एफ.4(300)(8)/स्टा/वैण्डर/10/1583-96 दिनांक : 19/04/2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए./कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को देकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के आशय की सूचना वृत्त के अधीन सभी उप पंजीयकों एवं स्टाम्प वैण्डरों को भी की जावें।
9. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
10. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
11. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
13. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
14. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर